



समाहरणालय, खगड़िया

जिला बाल संरक्षण इकाई

(समाज कल्याण विभाग)



ई-मेल—adcpkhagaria@gmail.com

दूरभाष—06244-222250

पत्रांक—978 / जि0बा0सं0इ0 / खगड़िया

दिनांक—01/09/2026

प्रेषक,

सहायक निदेशक
जिला बाल संरक्षण इकाई
खगड़िया।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय,
बिहार, पटना।

विषय:— लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम 2012 एवं नियमावली 2020 के अंतर्गत सहायक व्यक्तियों के सूचीबद्धता हेतु विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में।

प्रसंग:— सचिव, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना का पत्रांक—749, दिनांक—20.04.2026

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में संचालित वाद " We the Women of India Vs. Union of India & Ors. Writ Petition(s) 1156/2021 and in Writ Petition No. 427 of 2022 titled Bachpan Bachao vs. Union of India." के संदर्भ में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम—2012 एवं नियमावली, 2020 के अंतर्गत सहायक व्यक्तियों के अस्थायी पदों पर मनोनयन हेतु विज्ञापन प्रकाशन किया जाना है। विज्ञापन का प्रारूप इस पत्र के साथ संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि संलग्न विज्ञापन के अनुरूप विज्ञापन का प्रकाशन राज्य स्तरीय प्रमुख समाचार पत्रों के खगड़िया अंक में प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक:—यथोक्त।

विश्वासभाजन



सहायक निदेशक
जिला बाल संरक्षण इकाई
खगड़िया।



बिहार सरकार
समाहरणालय, खगड़िया
(जिला बाल संरक्षण इकाई)
विज्ञापन सं०-01/2026

सचिव, समाज कल्याण, बिहार, पटना के दिशा-निर्देश ज्ञापक-748, दिनांक-24.04.2026 एवं पत्रांक-749, दिनांक-24.04.2026 के आलोक में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 एवं पॉक्सो नियम, 2020 के अंतर्गत सहायक व्यक्तियों को सूचीबद्ध करने हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र०	पद	शैक्षणिक योग्यता	कार्यानुभव	सूचीबद्धता हेतु शक्तियों की संख्या एवं कोटि			उम्र	मानदेय
1	सहायक व्यक्ति (Support Person)	समाजिक कार्य (MSW) / समाज शास्त्र / मनोविज्ञान / बाल विकास या विधि में स्नातकोत्तर या बाल अधिकार /परामर्शन में डिप्लोमा के साथ किसी भी संकाय में स्नातक की डिग्री के साथ-साथ तीन वर्ष का अनुभव।	बाल अधिकार/बाल संरक्षण/विधिक कार्य/सामाजिक कार्य/बाल मनोविज्ञान परामर्शदाता/ समाजशास्त्र /मनोविज्ञान के क्षेत्र में कम-से-कम तीन वर्ष का वांछनीय कार्य अनुभव। जिला विधिक सेवा प्राधिकार /बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार/ जिला बाल संरक्षण इकाई/बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड/ पॉक्सो न्यायालय अथवा चाइल्ड लाईन /चाइल्ड हेल्पलाइन सेवाओं में कार्यानुभव को प्राथमिकता दी जाएगी।	कुल-20			न्यूनतम 30 वर्ष अधिकतम 65 वर्ष	9000 रुपये (तीन किस्त में प्रति पॉक्सो वाद पर
				कोटि	पुरुष	महिला		
				सामान्य	4	3		
				SC/ST	3	2		
				BC/EBC	2	2		
				अल्पसंख्यक	2	2		

- आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- आवेदक खगड़िया जिले का निवासी होना चाहिए।
- अभ्यर्थी का पूर्ववर्ती इतिहास स्वच्छ होना चाहिए। इनके विरुद्ध भारत में कहीं भी अपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं रहना चाहिए। वे कभी भी नैतिक दुराचार (Moral Turpitude) दोषी नहीं हों। इस आशय का उन्हें शपथ-पत्र समर्पित करना होगा।
- बाल संरक्षण अथवा बाल विकास के क्षेत्र में कार्य कर रहे किसी संस्थान से निष्कासित अथवा ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए।
- सहायक व्यक्तियों को दो वर्ष के लिए सूचीबद्ध (Empanelment) किया जायेगा।
- विज्ञापन की विवरणी, दिशा-निर्देश एवं आवेदन हेतु विहित प्रपत्र जिला प्रशासन, खगड़िया के वेबसाइट <https://khagaria.nic.in> पर उपलब्ध रहेगा। विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
- इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आवेदित पद का उल्लेख करते हुए विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर केवल कार्यालय के ईमेल Email Id- adcpkhagaria@gmail.com पर भेजें। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, अंक प्रमाण-पत्र, अनुभव प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र एवं आवासीय प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- आयु की गणना 01.06.2026 से की जाएगी।
- अभ्यर्थियों का चयन शैक्षणिक योग्यता एवं चयन समिति के द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।
- साक्षात्कार की तिथि को आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं फोटोग्राफ लाना अनिवार्य होगा।

12. साक्षात्कार की तिथि की सूचना एवं सहायक व्यक्तियों की सेवा एवं कर्तव्य से संबंधित मार्गदर्शिका जिला बाल संरक्षण इकाई, खगड़िया के कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं जिला प्रशासन, खगड़िया के वेबसाइट <https://khagaria.nic.in> पर प्रदर्शित रहेगा।
13. उक्त विज्ञापन के संबंध में सभी प्रकार की सूचना यथा-साक्षात्कार में भाग लेने हेतु योग्य अभ्यर्थियों की सूची, अभ्यर्थियों की मनोनयन सूची आदि का प्रकाशन समय-समय उक्त वेबसाइट एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किया जाएगा।
14. किसी भी न्यायिक विवाद की स्थिति में अथवा अन्य कारणों से इस विज्ञापन को निरस्त करने का अधिकार वरीय पदाधिकारी के निदेश पर सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, खगड़िया के पास सुरक्षित रहेगा।
15. उम्मीदवारों द्वारा आवेदन पत्र में गलत तथ्य या प्रमाण-पत्र देने पर उनका मनोनयन कभी भी रद्द किया जा सकता है।
16. कार्य करने के दौरान प्रतिकूल आचरण पाए जाने पर मनोनयन कभी भी समाप्त किया जा सकता है।
17. सहायक व्यक्तियों हेतु तैयार किये गये पूर्व के पैनल को निरस्त किया जाता है।
18. आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि विज्ञापन प्रकाशन से 15 दिनों की होगी। निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त आवेदन विचारणीय नहीं होगा।

 01.05.26

सहायक निदेशक
जिला बाल संरक्षण इकाई
खगड़िया।